संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-45/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्याः 300 मान्यता/के0यू0/2019–20 दिनांक 28 मई, 2019 एवं पत्र संख्या केयू/मान्यता/2019/1004 दिनांक 28 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **देवस्थली विद्यापीठ (डिपार्टमेन्ट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन) लालपुर, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर** को **बी0बी0ए0** पाठ्यक्रम में सत्र 2017–18 से 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– सत्र 2017–18 से सत्र 2018–19 की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कुलसचिव के पत्र संख्याः केयू/मान्यता/2019/1004 दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के साथ विश्वविद्यालय के आदेश संख्या केयू/मान्यता/2019/1001 दिनांक 26.11.2019 की प्रति संलग्न की गई है, जिसमें संस्थान को कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में विषयांकित पाठ्यक्रम में सत्र 2017–18 एवं सत्र 2018–19 की सम्बद्धता विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत की जा चुकी है।

3– शैक्षिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के पूर्व निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति द्वारा उक्त संस्थान को **बी0बी0ए0** पाठ्यक्रम में **60 सीटों** के साथ **सत्र 2019–20** हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा फैकल्टी अनुमोदन प्रमाण–पत्र दिये जाने व विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 विनियमों/नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण होनें की दशा में, अस्थाई सम्बद्धता विषयक आदेश निर्गत करेगी तथा व कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ इस सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

4– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0/-

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3410 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-45/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।